सेरोगेसी (स्थानापन्नता) अथवा किराये की कोख

पवन कुमार*

सेरोगेसी को विधि आयोग की शब्दावली में ''स्थानापन्नता'' और जनसामान्य की बोलचाल की भाषा में ''किराये की कोख'' कहा जाता है। वर्तमान समय में यह चर्चा में है। प्राचीनकाल भारतीय समाज में भी यदा कदा इसके अधित्व के प्रमाण मिलते हैं। इसका प्रयोग सन्तानोपत्ति के द्वारा मानव पीढ़ी और वंश परम्परा को कायम रखते हुए किसी बच्चे को जन्म देने से है। यह कार्य केवल और केवल विधित विवाहित महिला एवं पुरूष के द्वारा किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, किन्तु इसका वाणिज्यीकरण हो जाने के कारण अर्थात जब कोई महिला अपने पति से भिन्न किसी व्यक्ति के पुत्र के अंश (वीर्य या डिम्ब या दोनों) अपने गर्भ के धारण करने और उसे नौ महीने तक अपने कोख में पालित पोषित करके जन्म देने और उसे उस व्यक्ति को सौंप देने का करार करते हुए किसी सन्तान को जन्म देती है, तब यह कहा जाता है कि उक्त महिला ने अपने कोख को किराये पर (भाड़ें पर दे दिया। ''किराये की कोख'' के अन्तर्गत यही भाव और कार्य निहित है।

न्यून साइक्लोपीडिया ब्रिटानिका के अनुसार स्थानापन्न मातृत्व एक ऐसी पद्धति है जिसमें कोई स्त्री किसी ऐसे दम्पत्ति के लिए बच्चे को गर्भ में रखती है और उसे जन्म देती है, जो (स्त्री या पुरूष या दोनों)सामान्य रूप से बच्चे को जन्म देने में असमर्थ है । सारतः गर्भधारण सम्बन्धी स्थानापन्नता इस अर्थ में सम्पूर्ण माना जाता है कि इसके अन्तर्गत आई0वी0एफ0 की प्रक्रिया द्वारा सृजित भ्रूण को स्थानापन्न माँ के गर्भ में आरोपित किया जाता है। पारम्परिक स्थानापन्नता को आंशिक या आनुवांशिक रूप से अनुबंधित कहा जा सकता है।

विधि शब्द कोष ब्लैक के अनुसार स्थानापन्नता का तात्पर्य किसी दूसरे व्यक्ति के लिए किसी बच्चे को गर्भ में रखने और जन्म देने की प्रक्रिया से है। शब्द कोष पुनः स्थानापन्नता को दो वर्गों में विभाजित करता है –

(i) पारम्परिक स्थानापन्नता– जिसमें एक स्त्री अपनी स्वयं का डिम्ब प्रदान करती है, जिसे कृत्रिम वीर्य सेचन द्वारा उर्वरक बनाया जाता है और तत्पश्चात भ्रूण को गर्भ में रखती है और दूसरे व्यक्ति के लिए बच्चे को जन्म देती है।

असिस्टेंट प्रोफेसर महेन्द्र प्रताप सिंह लॉ कालेज, अंदावां सरायइनायत, इलाहाबाद

(i) गर्भधारण सम्बन्धी स्थानापन्नता–ऐसा गर्भ जिसमें एक स्त्री (आनुवांशिक माँ) डिम्ब प्रदान करती है जिसे उर्वरक बनाया जाता है और दूसरी स्त्री स्थानापन्न–माँ उक्त भ्रूण को गर्भ में रखती है और बच्चे को जन्म देती है।

इसलिए 'किराये के कोख' के सम्बंध में 'स्थानापन्नता' का अर्थ किसी सन्तान की उत्पत्ति के लिए नियत व्यक्ति (पत्नी) से भिन्न नियुक्त किया गया कोई अन्य व्यक्ति (महिला) है, जिसे वर्तमान परिप्रेक्ष्य में स्थानापन्न माँ (सेरोगेट मदर) का सम्बोधन दिया जा रहा है, जो एक ऐसी महिला है जो किसी दूसरी स्त्री की ओर से शिशु को गर्भ में धारण करती है, चाहे वह ऐसा स्वयं अपने डिम्ब से (प्राकषतिक रूपेण) करे या अपने गर्भाशय में उस दूसरी स्त्री के उर्वरक डिम्ब के आरोपण से।

उच्चतम न्यायालय में इस विषय पर पहला वाद बेबी यमादा बनाम भारत संघ 2009 AIR SC 64 था। इसके बाद वर्तमान वाद स्वयं भारत संघ और एक अन्य बनाम जन बलाज और अन्य (2017) का है। इस मामले में अन्तिम सुनवाई गत 7 मार्च 2017 को सम्पन्न हुई। जिसमें भारत सरकार की ओर से अपना पक्ष रखते हुए कहा गया कि सेरोगेसी (विनियमन) विधेयक 2016 को गत 12 जनवरी 2017 को संसदीय समिति को सौंप दिया गया। इसके समक्ष यह विचाराधीन है।

जहाँ तक सेरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016, का सम्बन्ध है, इसे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री जे.पी. नाडा ने लोक सभा में गत वर्ष 21 नवम्बर, 2016 को पेश किया था। कुल आठ अध्यायों और 51 धाराओं वाले इस विधेयक के उद्देश्य खण्ड में कहा गया है कि यह विधेयक सेरोगेसी व्यवहार और प्रक्रिया का विनियमन करने के लिए राष्ट्रीय एवं प्रान्तीय सेरोगेसी बोर्डों का गठन हेतु तथा इससे सम्बन्धित सभी विषयों का विनियमन करने के लिए है। विधेयक के परिभाषा खण्ड धारा 2 में सेरोगेसी से सम्बंधित सभी विवादित विषयों को परिभाषित कर दिया गया है, जिनमें स्वार्थहीन सेरोगेसी अर्थात् परमार्थ (धारा 2ख), वाणिज्यिक सेरोगेसी (धारा 2(च), दम्पत्ति (धारा 2 (छ), डिम्ब एवं भ्रूण (धारा 2 (ज) (झ),च निषेचन (धारा 2 ञ), गर्भ (धारा (ट), युग्मक (धारा 2 (ठ)), आशयन रखने वाला दम्पत्ति (अर्थात् वह व्यक्ति जो सेरोगेट की अपेक्षा करता है (धारा 2 (द)), सेरोगेसी (धारा 2 य ख)), सेरोगेसी प्रक्रिया (धारा 2 (यघ), सेरोगेट माता (धारा 2 (य ङ) आदि मुख्य हैं।

विधेयक में सेरोगेसी विनियमन के लिए जो प्रावधान किए गए हैं उनमें एक तरफ धारा 3 के अन्तर्गत सेरोगेसी क्लिनिकों का विनियमन (अध्याय 4 के तहत पंजीयन एवं विशेषज्ञता) किया गया है वहीं धारा 4 के अन्तर्गत सेरोगेसी और सेरोगेसी प्रक्रियाओं को विनियमित किया गया है, जिसके खण्ड (पप) के अन्तर्गत उन प्रयोजनों को स्पष्ट कर दिया गया है, जब सेरोगेसी अनुमति योग्य होगा अन्यथा नहीं, अर्थात सेरोगेसी तभी विधिपूर्ण होगा –

(क) जब दम्पत्ति में कोई एक या दोनों सदस्य साबित अनुर्वरता से पीड़ित (बांझ/नपुंसक) हों;

(ख) जब वह केवल स्वार्थहीन सेरोगेसी के प्रयोजनों के लिए है;

(ग) जब वह किन्ही वाणिज्यिक प्रयोजनों या सेरोगेसी अथवा सेरोगेसी प्रक्रियाओं के वाणिज्यिकरण के लिए नहीं है;

(घ) जब वह विक्रय, वेश्यावृत्ति या किसी अन्य रूप में शोषण के लिए बालकों को उत्पन्न करने के लिए नहीं है; और

(ङ) ऐसी कोई अन्य स्थिति या रोग, जिसे बोर्ड द्वारा बनाए गए नियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जायं।

स्पष्ट है कि उपर्युक्त प्रयोजनों से भिन्न सेरोगेसी को अनुमति नहीं होगी। ये ऐसे उद्देश्य हैं जो स्वार्थहीन सेरोगेसी को अनुमति प्रदान करते हैं। वहीं दूसरी तरफ वाणिज्यिक सेरोगेसी और सेरोगेट माताओं और सेरोगेट सन्तानों के शोषण को धारा 35 के खण्ड (क) से (च) के अन्तर्गत क्रमवार बिन्दुओं के तहत पूर्णतः प्रतिषेधित करके 10 वर्ष तक के कारावास और 10 लाख रूपये तक के जुर्माने से दण्डनीय अपराध घोषित किया गया है जो धारा 40 के अनुसार संज्ञेय, गैरजमानतीय और अशमनीय अपराध होगा। सेरोगेसी के विनियमन खण्ड (धारा 4) में यह भी उपबंध होगा कि कोई सेरोगेट माँ अपने पूरे जीवन काल में केवल एक बार ही सेरोगेट माता बन सकती है। दूसरी तरफ पूरे प्रकरण पर निगरानी राष्ट्रीय व प्रान्तीय बोर्डों (अध्याय 5 धारा 14 से 31) के द्वारा अपने समुचित प्राधिकारी (अध्याय 6, धारा 36–34) के माध्यम से की जायेगी। यदि अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया जाता है, तो वह अपराध और दण्डनीय (अध्याय 7, धारा 35 से 42 होगा) ।

निश्चय ही विधेयक का लक्ष्य और प्रयोजन देश में वाणिज्यिक सेरोगेसी जैसे कुचलन को प्रतिबंधित करने की दिशा में एक सार्थक कदम है। भारत जेसे सभ्यतामूलक, सांस्कषतिक और सांस्कारिक देश में ऐसे चलनों की अनुमति नहीं दिया जा सकता है। सन्तानहीन दम्पत्ति चाहे वे देश के हों अथवा विदेश के, उनकी व्यथा के निवारण एवं उनकी पारिवारिक व सामाजिक आवश्यकता का सम्मान करते हुए विहित, सभ्य और समुचित तरीके में स्वार्थहीन सेरोगेसी की अनुमति व्यापक जनहित में माना जा सकता है किन्तु वाणिज्यिक सेरोगेसी को कदापित नहीं।

वाणिज्यिक सेरोगेसी पर आधारित वे यक्ष प्रश्न, जो आज भी चर्चा और बहस के केन्द्र बिन्दु में हैं, निम्नलिखित हैं –

1. क्या वाणिज्यिक सेरोगेसी में स्थानापन्न माँ ही स्थानापन्न शिशु का एकमात्र माता होगी, क्योंकि वही बच्चे को 9 माह तक अपने को कोख में रखते हुए शारीरिक, मानसिक एवं अन्य पीड़ा का सहन करती है?
2. क्या उस दाता माँ, जो अपना डिम्ब दान करती है, को माँ माना जा सकता है अथवा नहीं ?
3. क्या वाणिज्यिक स्थानापन्नता में ऊपर्युक्त दोनों को माँ माना जा सकता है ?
4. क्या वाणिज्यिक स्थानापन्नता 'किराये के कोख' को आशयित करता है ?
5. क्या वाणिज्यिक सेरोगेसी को पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए ?

6. क्या विदेश से मानव–भ्रूण (human embryo) का आयात किया जाना मानव प्राणी का बाजारीकरण(commoditization) है और इस प्रकार अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है।
7. क्या, तद्नुसार, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन अधिनियम की धारा 5 के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना की धारा 5 के अन्तर्गत भारत सरकार के द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 2.12.2013 संविधान के अनुच्छेद 21 और 23 के उल्लंघन में है ?
8. क्या वाणिज्यिक सेरोगेसी से उत्पन्न बच्चे के मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है और इसलिए बच्चे को मानसिक और भावनात्मक समस्याएं उत्पन्न होंगी।
9. क्या वाणिज्यिक स्थानापन्नता में एक शिशु का विक्रय अन्तर्विष्ट है ?
10. क्या वाणिज्यिक स्थानापन्नता का करार अनैतिक और लोकनीति के विरूद्ध और, इसलिए भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 की धारा 23 के अन्तर्गत शून्य है ?
11. क्या भारत में वाणिज्यिक स्थानापन्नता, जैसा कि चलन में है, स्थापन्नता माँ के शारीरिक, आर्थिक और मानसिक शोषण को आशयित करता है ?
12. क्या वाणिज्यिक स्थानापन्नता भारतीय नारीत्व के गरिमा से असंगत तदनुसार संविधान के अनुच्छेद 21 के उल्लंघन में है ?
13. क्या वाणिज्यिक स्थानापन्नता भारत से महिलाओं के दुर्व्यापार को बढ़ावा देता है तद्नुसार संविधान के अनुच्छेद 23 का उल्लंघन करता है ?
14. निम्नलिखित मामलों में वर्तमान विधि–व्यवस्था में कोई विधिक प्रावधान नहीं है –

(क) क्या होगा जब बच्चे को जन्म देने के दौरान स्थानापन्न माँ की मृत्यु हो जाय ?

(ख) स्थानापन्न माँ क्या करेगी यदि बच्चे के शारीरिक या मानसिक असमान्यता में दूसरा पक्ष बच्चे को लेने से इंकार कर दे ?

(ग) क्या होगा यदि स्वयं सेरोगेट मदर ही बच्चे को उस अन्य व्यक्ति को देने से इंकार कर दे ?

(घ) सेरोगेट का पारिश्रमिक क्या हो ?

(ङ) यदि सेरोगेट बीमार हो जाय तो उसकी मेडिकल खर्च कौन वहन करेगा ?

(च) क्या सेरोगेसी की घटना से बच्चे को अवगत कराया जाय, यदि हाँ तो कब ?

सार संक्षेप यही है कि सेरोगेसी एक ऐसा सामाजिक समस्या है जिससे प्रत्येक राष्ट्र को अपने देश काल और वातावरण के अनुसार निपटना है और भारतीय परिवेश की यही मांग है कि निःसंतान को सन्तान प्राप्त हो और जरूरत पड़ने पर वह सेरोगेसी प्रक्रिया को अपना सके, किन्तु इसके व्यवसायिकरण की अनुमति बिल्कुल ही न हो। आशा की जानी चाहिए कि सेरोगेसी (विनियमन) विधेयक, 2016 इन अपेक्षाओं पर खरा उतरेगा।